न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 1 सुलतानपुर।

उपस्थितः संध्या चौधरी {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे०ओ० कोडः–UP 6161)

****

UPST010023112026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 695/2026

सूरज पाण्डेय पुत्र राम नयन पाण्डेय, निवासी जलालपुर थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर जरिए संरक्षिका माता पुष्पा पत्नी स्व0 राम नयन पाण्डेय, निवासी जलालपुर, थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर। ....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 1387/2008
धारा 394,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर।

18–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त सूरज पाण्डेय की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध सं0 1387/2008, धारा 394,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2008 को प्रार्थी सेन्ट्रल बैक शाखा कादीपुर से अपने खाता संख्या–32970 में से मु0–10,000/–रूपया निकाल कर ईट का रूपया भट्ठा मालिक को देने के लिए जा रहा था कि समय करीब 12 बजे दिन में जैसे ही प्रार्थी कादीपुर से चांदा मार्ग पर गंगाधर के टाली के भट्ठे के पास पहुॅचा तो उसी समय अभियुक्तगण संजीव पाण्डेय, सूरज पाण्डेय व राकेश मिश्र हीरो होण्डा स्पेलेण्डर यू0पी0 44ई/5972 से पहुॅचकर प्रार्थी का रास्ता घेर लिए और प्रार्थी को मॉ हन की भददी–भददी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थी अपनी जान बचाने की नियत से किसी तरीके से सड़क के किनारे होते हुए खेत की तरफ भागना चाहा तो अभियुक्तगण दौड़कर प्रार्थी को पकड़ लिए और लात मूका व डण्डे से मारे पीटे व 10,000/–रूपया अभियुक्त संजीवन पाण्डेय झपट कर ले लिए।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि दौरान विवेचना अभियुक्त राकेश मिश्रा का नाम विवेचक द्वारा विलोपित कर दिया गया। उक्त मुकदमें के सह–अभियुक्त राजीव पाण्डेय की जमानत पूर्व में स्वीकृत हुई है व अभियुक्त को कोई नोटिस सम्मन बाद संज्ञान आज तक नहीं मिला, न ही तामीला कराया गया। बरवक्त कथित घटना अभियुक्त सूरज पाण्डेय आई0टी0आई0 सिंगरामऊ में छात्र था, उस समय अवयस्क था व हाईस्केल अंकपत्र/प्रमाणपत्र के अनुसार जन्मतिथि 18.02.1991 है। मुकदमा उपरोक्त में न तो अभियुक्त काबयान लिया गया है और न ही प्रार्थी को कोई घटना के बावत मुचलका आदि ही विवेचक द्वारा लिया गया है और न ही संरक्षिका का बयान आदि ही लिया गयाव आरोप पत्र भी न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में नहीं प्रस्तुत किया था, जो विधि के प्राविधानों के अनुसार जरूरी है। विवेचक ने उक्त की अनदेखी करते हुए सम्बन्धित न्यायालय में एक ही साथ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया है। अभियुक्त से कथित लूट की धनराशि बरामद नहीं हुई है और न ही कोई प्रथम दृष्टया ऐसा साक्ष्य है। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से व अन्य साक्ष्य व साक्षियों के बयानात से भी धारा 394 का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त सूरज पाण्डेय का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुये, यह कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त सूरज पाण्डेय प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य उल्लिखित है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को लात–मुक्का व डण्डे से मारा पीटा और

वादी से 10,000/—रूपये लूट लिये तथा भददी—भददी गाली व जान से मारने की धमकी दिया। वादी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में अभियुक्त द्वारा अन्य सह—अभियुक्त के साथ मिलकर वादी से पैसा लूटने, मारने पीटने इत्यादि का कथन किया है। ऐसे में प्रस्तुत प्रकरण की घटना में प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त से अभियुक्त की मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है और पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध इस स्तर पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **पी0 चिदम्बरम बनाम डायरेक्टरेट आफ इन्फोर्स मेन्ट एस0आई0आर0 2019 ए0सी0 4196** में माननीय उच्चतम न्याायलय द्वारा यह विनिश्चियन किया गया कि अग्रिम जमानत मात्र उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है जबकि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि अभियुक्त के विरूद्ध घटना कारित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अग्रिम जमानत का अस्वीकार किया जाना किसी के दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। अग्रिम जमानत एक आपवादिक अनुतोष है, जिसे मात्र अपवादिक परिस्थितियों में प्रदान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य इस स्तर पर केस डायरी पर उपलब्ध है। **ईदू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 : AHC-LKO : 31814 (CRIMINAL Misc. Bail Application No.-3179 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल जाने से बचाना है, न कि उस व्यक्ति को जेल जाने से बचाना है जिसके विरूद्ध कोई साक्ष्य विद्यमान हो। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य है अथवा नहीं, इसका निर्धारण जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है बल्कि विचारण के बाद ही किया जा सकता है

माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अय (2020)5 एस0एस0सी0 (1) (संवैधानिक पीठ)** में यह विनिश्चय किया गया है कि अग्रिम जमानत एक अपवादित अधिकार है, जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। धारा 438 द0प्र0सं0 कोई निर्वाद अधिकार नहीं है। अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष वैधानिक कारण होना चाहिए, जिन मामलों में मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड प्राविधानित है, उन मामलों में जब तक अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जबतक कि प्रारम्भिक स्तर पर ही न्यायालय का समाधान न हो जाए कि अपराधी पर लगाया गया आरोप मिथ्या है। अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गम्भीरता, अभियुक्त की अपराध में भूमिका और घटना के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करना चाहिए। धारा 438 द0प्र0सं0 में निहित प्रदत्त अधिकार न्यायालय का स्व—विवेक शक्ति है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार मौजूद नही है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सूरज पाण्डेय की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

Sd/-
(संध्या चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 1, सुलतानपुर।
JO Code UP 6161

दिनांक 18—03—2026